भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या : 3005**

उत्तर देने की तारीख : 21.12.2023

**पीएमजीवीके के अंतर्गत संवितरित धनराशि**

**3005. श्री राम मोहन नायडु किंजरापु:**

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत चार वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के अंतर्गत राज्यों को राज्य-वार कितनी धनराशि संवितरित की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान संवितरित धनराशि में से आन्ध्र प्रदेश द्वारा कितनी धनराशि का उपयोग किया गया:

(ग) इस योजना के अंतर्गत जिला-वार कितनी परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं और आन्ध्र प्रदेश के लिए इस परियोजना के शुरु होने की तिथि क्या है;

(घ) आन्ध्र प्रदेश में प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है और यह कब तक पूरा हो जाएगा;

(ङ) क्या उक्त योजना के अंतर्गत परियोजनाओं को समय पर पूरा किए जाने की निगरानी करने के लिए कोई तंत्र है; और

(च) यदि हां, तो ऐसे तंत्र का ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है कि राज्य सरकारे उक्त योजना के अंतर्गत विलंबित परियोजनाओं को पूरा करें?

**उत्तर**

**अल्पसंख्यक कार्य मंत्री**

**(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)**

(क): सरकार ने कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर और समाज के कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों सहित हर वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू किया है। अल्पसंख्यक

कार्य मंत्रालय ने विशेष रूप से अधिसूचित छह (6) अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तीकरण के लिए देश भर में विभिन्न योजनाओं को लागू किया है।

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK), एक केंद्र प्रायोजित योजना (CSS), एक क्षेत्र विकास कार्यक्रम है जिसके तहत चिन्हित क्षेत्रों में सामुदायिक बुनियादी ढांचे और बुनियादी सुविधाएं बनाई जा रही हैं। पीएमजेवीके के तहत प्राथमिकता वाले क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला केंद्रित परियोजनाएं आदि हैं। पीएमजेवीके के तहत पिछले चार वर्षों के दौरान जारी किए गए धन का राज्यवार विवरण **अनुबंध-I** में है।

(ख): पीएमवीजेके के तहत पिछले चार वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य को 14728.81 लाख रु. की धनराशि जारी की गई। किसी भी लाभार्थी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को धनराशि जारी करना और उनके द्वारा व्यय करना एक सतत प्रक्रिया है। जारी धनराशि के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त उपयोगिता प्रमाणपत्र का पावती से मिलान किया जाता है।

(ग) और (घ): आंध्र प्रदेश राज्य के लिए योजना की शुरुआत के बाद से स्वीकृत परियोजनाओं और स्वीकृत धनराशि का जिलावार विवरण **अनुबंध-II** में है। वर्तमान में राज्य ने 8042 स्वीकृत इकाइयों का क्रियान्वयन पूर्ण कर लिया है।

(ङ) और (च) : पीएमजेवीके के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि धन का इष्टतम उपयोग हो और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा परियोजनाएं समय पर पूरी की जाएं, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पीएमजेवीके के तहत जारी धन का उपयोग करने की छूट दी गई है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की संशोधित प्रक्रिया के अनुसार, अब पीएमजेवीके के तहत धनराशि जारी करना एकल परियोजनाओं से संबंधित नहीं है। पीएमजेवीके की राज्य नोडल एजेंसी (SNA) के बैंक खाते में उपलब्ध राशि एक सामान्य पूल बनाती है, जिसका उपयोग राज्यों द्वारा चल रही परियोजनाओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। पीएमजेवीके के तहत बनाई गई सभी संपत्तियों की जियो-टैगिंग और पीएमजेवीके के तहत परियोजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन/निगरानी के लिए परियोजनाओं के निर्माण/समापन के विभिन्न चरणों की तस्वीरों सहित परियोजना की प्रमुख विशेषताओं को कैप्चर करने के लिए एक मोबाइल ऐप PMJVK-Bhuvan विकसित किया गया है। योजना के तहत अनुमोदित कार्यों के निष्पादन की स्थिति की समीक्षा करने के लिए लाभार्थी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/केंद्र सरकार संगठनों के साथ सचिव, संयुक्त सचिव और डिवीजन स्तर पर समय-समय पर बैठकें आयोजित की जाती हैं। बैठकों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/ केंद्र सरकार संगठनों को आवश्यक कार्रवाई की सलाह दी जाती है ताकि स्वीकृत कार्य समय पर पूरे हो जाएं। ऐसी समीक्षा बैठकों के परिणामस्वरूप, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उन परियोजनाओं को छोड़ने/रद्द करने की सलाह दी गई है, जो शुरू नहीं हुई हैं और अव्यवहार्य हो गई हैं, और ऐसी परियोजनाओं के लिए जारी धनराशि का उपयोग अन्य चल रही परियोजनाओं पर करने की सलाह दी गई है।

*****

**अनुबंध-I**

**'पीएमजीवीके के अंतर्गत संवितरित धनराशि' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3005 जिसका उत्तर दिनांक 21.12.2023 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

**पीएमजेवीके के तहत पिछले चार वर्षों के दौरान जारी धन का राज्यवार विवरण**

(लाख रुपये में)

| क्र.सं. | राज्य का नाम | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | असम | 10646.31 | 7148.95 | 15999.31 | _ |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 16908.96 | 1804.58 | 2137.58 | _ |
| 3 | आंध्र प्रदेश | 8362.16 | 5676.74 | 689.91 | _ |
| 4 | अंडमान और निकोबार द्वीप | 1132 | 4.80 | 49.49 | _ |
| 5 | बिहार | 1726.77 | 384.905 | 621.89 | _ |
| 6 | छत्तीसगढ़ | 100.80 | 228.57 | 100.80 | _ |
| 7 | दिल्ली | _ | _ | _ | _ |
| 8 | गुजरात | 44.20 | 1329.77 | _ | _ |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 574.80 | _ | _ | _ |
| 10 | हरियाणा | 474.04 | _ | 1378.50 | _ |
| 11 | झारखंड | 4301.13 | 188.82 | 2613.70 | _ |
| 12 | जम्मू एवं कश्मीर | _ | _ | _ | _ |
| 13 | कर्नाटक | 6625.69 | 4117.02 | 3514.32 | _ |
| 14 | केरल | 967.50 | _ | 4269.08 | _ |
| 15 | मणिपुर | 18984.42 | 8956.45 | 18727.01 | _ |
| 16 | मेघालय | 4350.15 | _ | 7725.15 | _ |
| 17 | मिजोरम | 10286.85 | 2881.18 | 5841.39 | _ |
| 18 | मध्य प्रदेश | 136.43 | 10749.91 | 154.80 | _ |
| 19 | महाराष्ट्र | 991.92 | 5926.54 | 3954.72 | _ |
| 20 | नगालैंड | 4186.8 | 9077.63 | 1442.02 | _ |
| 21 | ओडिशा | 50.40 | 500.00 | 2165 | _ |
| 22 | पंजाब | _ | _ | _ | 10457.70 |
| 23 | राजस्थान | 3748.7 | 4180.084 | 2461.31 | _ |
| 24 | सिक्किम | _ | 1042.39 | 19541.61 | _ |
| 25 | तेलंगाना | 25303.85 | - | 2079.07 | _ |
| 26 | त्रिपुरा | 979.16 | 506.69 | 649.29 | _ |
| 27 | तमिलनाडु | 727.66 | 856.43 | 18118.77 | _ |
| 28 | उत्तर प्रदेश | 16207.94 | 9832.401 | 737.67 | _ |
| 29 | उत्तराखंड | 3632.35 | 2966.82 | 1575.68 | _ |
| 30 | पश्चिम बंगाल | 20169.66 | 20737.26 | 3852.8 | _ |

**अनुबंध-II**

**'पीएमजीवीके के अंतर्गत संवितरित धनराशि' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3005 जिसका उत्तर दिनांक 21.12.2023 को दिया जाना है, के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

**आंध्र प्रदेश राज्य के लिए योजना की शुरुआत से स्वीकृत परियोजनाओं और स्वीकृत धनराशि का जिलेवार विवरण**

**(लाख रुपये में)**

| जिले का नाम | परियोजनाओं का नाम | इकाइयाँ स्वीकृत | कुल लागत स्वीकृत | स्वीकृत केंद्रीय हिस्सा |
|---|---|---|---|---|
| अनंतपुर | स्कूल की इमारतें | 7 | 1591.49 | 988.56 |
| | आवासीय विद्यालय | 6 | 12610.00 | 7566.00 |
| | स्कूल/आईटीआई/पॉलिटेक्निक के लिए छात्रावास | 8 | 1686.72 | 1138.52 |
| | स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाएँ/पुस्तकालय/प्रयोगशाला/हॉल | 37 | 257.50 | 154.50 |
| | आईटीआई/आईटीआई के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचा | 2 | 2000.00 | 1200.00 |
| | पॉलिटेक्निक/मौजूदा पॉलिटेक्निक के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचा | 4 | 6556.00 | 3933.60 |
| | हुनर हब | 1 | 420.00 | 252.00 |
| | कामकाजी महिला छात्रावास | 1 | 300.00 | 180.00 |
| | सामुदायिक सेवा केंद्र/सद्भाव मंडप/सामुदायिक भवन | 4 | 457.44 | 274.46 |
| चितूर | आवासीय विद्यालय | 1 | 1800.00 | 1080.00 |
| | स्कूल/आईटीआई/पॉलिटेक्निक के लिए छात्रावास | 6 | 821.68 | 493.00 |
| | स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाएँ/पुस्तकालय/प्रयोगशाला/हॉल | 1 | 10.00 | 6.00 |
| | विद्यालय में अन्य अवसंरचना | 6 | 36.00 | 21.60 |
| | आईटीआई/आईटीआई के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचा | 2 | 2000.00 | 1200.00 |
| | हुनर हब | 3 | 360.00 | 216.00 |
| | सामुदायिक सेवा केंद्र/सद्भाव मंडप/सामुदायिक भवन | 3 | 420.00 | 252.00 |
| गुंटूर | स्कूल की इमारतें | 3 | 500.00 | 307.50 |
| | आवासीय विद्यालय | 2 | 3600.00 | 2160.00 |
| | स्कूल/आईटीआई/पॉलिटेक्निक के लिए छात्रावास | 2 | 421.68 | 316.26 |
| | स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाएँ/पुस्तकालय/प्रयोगशाला/हॉल | 23 | 153.25 | 95.96 |
| | आईटीआई/आईटीआई के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचा | 1 | 391.56 | 391.56 |
| | सामुदायिक सेवा केंद्र/सद्भाव मंडप/सामुदायिक भवन | 1 | 143.00 | 85.80 |
| कडपा | स्कूल की इमारतें | 4 | 629.45 | 415.08 |
| | आवासीय विद्यालय | 4 | 7200.00 | 4320.00 |
| | स्कूल/आईटीआई/पॉलिटेक्निक के लिए छात्रावास | 5 | 1063.36 | 852.52 |
| | स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाएँ/पुस्तकालय/प्रयोगशाला/हॉल | 60 | 321.00 | 200.62 |
| | आईटीआई/आईटीआई के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचा | 1 | 391.56 | 391.56 |
| | आंगनवाडी | 50 | 375.00 | 225.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | सामुदायिक सेवा केंद्र/सद्भाव मंडप/सामुदायिक भवन | 2 | 181.00 | 108.60 |
| कुरनूल | स्कूल की इमारतें | 12 | 1015.90 | 677.97 |
| | आवासीय विद्यालय | 2 | 3600.00 | 2160.00 |
| | स्कूल/आईटीआई/पॉलिटेक्निक के लिए छात्रावास | 10 | 2108.40 | 1328.26 |
| | कॉलेज | 1 | 299.45 | 179.67 |
| | स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाएं/पुस्तकालय/प्रयोगशाला/हॉल | 110 | 588.50 | 441.37 |
| | स्वास्थ्य परियोजनाएं | 2 | 105.88 | 79.42 |
| | आईटीआई/आईटीआई के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचा | 2 | 791.28 | 631.39 |
| | कामकाजी महिला छात्रावास | 1 | 210.84 | 126.50 |
| | आंगनवाड़ी | 174 | 1245.00 | 760.50 |
| | सामुदायिक सेवा केंद्र/सद्भाव मंडप/सामुदायिक भवन | 4 | 520.00 | 312.00 |
| श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर | आवासीय विद्यालय | 1 | 1950.00 | 1170.00 |
| | स्कूल/आईटीआई/पॉलिटेक्निक के लिए छात्रावास | 2 | 200.00 | 120.00 |
| | स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाएँ/पुस्तकालय/प्रयोगशाला/हॉल | 3 | 30.00 | 18.00 |
| | विद्यालय में अन्य अवसंरचना | 6 | 36.00 | 21.60 |
| | आईटीआई/आईटीआई के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचा | 1 | 950.00 | 570.00 |
| | पॉलिटेक्निक/मौजूदा पॉलिटेक्निक के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचा | 1 | 1420.00 | 852.00 |
| | सामुदायिक सेवा केंद्र/सद्भाव मंडप/सामुदायिक भवन | 1 | 140.00 | 84.00 |
| वाई.एस.आर. कडपा | आवासीय विद्यालय | 1 | 1800.00 | 1080.00 |